न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 50 / 2022

शीर्षक

1. प्रीतम चन्द पुत्र सेवाराम, जाति बलाई, निवासी 37 मेटर रोड गांधी कॉलोनी ब्रहमपुरी जयपुर (राज0)
2. जितेन्द्र वर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर वर्मा, जाति बलाई, निवासी राजनगर, जैन मन्दिर के पीछे प्रतापनगर, खेरदा सवाईमाधोपुर,राज0

वादीगण

बनाम

1. तेजपाल पुत्र प्रभातराम
2. अनिता पुत्री प्रभातराम
3. प्रेम देवी पुत्री श्योनाथ
4. सेडी पुत्री श्योनाथ
   समस्त जाति बलाई, निवासी गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश –7 नियम–1 जाप्ता दीवानी बाबत बटवारा (तकास्मा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 30/01/2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक वैधानिक बटवारा नही हुआ है, जबकि खातेदार शामलाती में ही काश्त करते आये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बाजौर धनी व लडाकू किस्म के खूंखार लठैत एवं संख्या बल वाले व्यक्ति है जिन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है, जिसके चलते आये दिन सींव, डोल, सीमा विवाद करते रहते है, तथा वादीगण के साथ रास्ता व आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नही रहा है। दिनांक 08.05.2022 को वादीगण अपनी आराजी की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 एक राय होकर आये तथा वादीगण की सींव का फावडा लेकर काटने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को टोका तो वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये तथा आपसी समसाईश से उस वक्त तो मान गये परन्तु जाते जाते एलानियां धमकी देकर गये कि हम उक्त भूमि का कानूनी बटवारा नही होने देगें तथा काश्त हेतु आराजी में नही जाने देंगे तथा कानूनी बटवारा हेतु साफ इंकारी हो गये इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। अंत में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व नियमों के अनुसार मौके व कब्जा काश्त के अनुसार कानूनी बटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये जिनके विरूद्व दिनांक 03.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/273 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात भिजवाये गये। बटवारा रिर्पोट पर वकील वादी के द्वारा अपनी सहमति प्रदान की तथा दावा अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण को भी सूचित किया गया है तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात का अवलोकन किये जाने पर सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

1. जितेन्द्र पुत्र भवानीशंकर जाति बलाई निवासी राजनगर जैन मंदिर के पिछे प्रतापनगर खेरदा सवाईमाधोपुर राजस्थान के खसरा नम्बर 3/1 रकबा 1.7469 है0 , 129 रकबा 0.02 है0, 130/1 रकबा 0.0507 है0 कुल किता 3 रकबा 1.8176 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. प्रीतम चन्द पुत्र सेवाराम जाति बलाई सा. 37, गेटर रोड, गांधी कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर राज0 के खसरा नम्बर 3/2 रकबा 0.4216है0, 130/2 रकबा 0.2220 है0 कुल किता 2 रकबा 0.6436 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. अनिता पुत्री प्रभात हिस्सा 1/2 तेजपाल पुत्र प्रभातराम हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.3614 है0 कुल किता 1 रकबा 0.3614 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
4. अनिता पुत्री प्रभात हिस्सा 148/2346 तेजपाल पुत्र प्रभातराम हिस्सा 148/2346, प्रेमदेवी, सेडी पुत्रीयान श्योनाथ हिस्सा 1025/1173 जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.1173 है0 कुल किता 1 रकबा 0.1173 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 50/2022

शीर्षक

1. प्रीतम चन्द पुत्र सेवाराम, जाति बलाई, निवासी 37 गेटर रोड गांधी कॉलोनी ब्रहमपुरी जयपुर (राज0)
2. जितेन्द्र वर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर वर्मा, जाति बलाई, निवासी राजनगर, जैन मन्दिर के पीछे प्रतापनगर, खेरदा सवाईमाधोपुर,राज0

वादीगण

बनाम

1. तेजपाल पुत्र प्रभातराम
2. अनिता पुत्री प्रभातराम
3. प्रेम देवी पुत्री श्योनाथ
4. सेडी पुत्री श्योनाथ
   समस्त जाति बलाई, निवासी गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश –7 नियम–1 जाप्ता दीवानी बाबत बटवारा (तकास्मा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 30/01/2023

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम गोनपुरा उर्फ डांग्यावाली, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **जितेन्द्र पुत्र भवानीशंकर जाति बलाई निवासी राजनगर जैन मंदिर के पिछे प्रतापनगर खेरदा सवाईमाधोपुर राजस्थान के खसरा नम्बर 3/1 रकबा 1.7469 है0 , 129 रकबा 0.02 है0, 130/1 रकबा 0.0507 है0 कुल किता 3 रकबा 1.8176 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।**
2. **प्रीतम चन्द पुत्र सेवाराम जाति बलाई सा. 37, गेटर रोड, गांधी कालोनी ब्रहमपुरी जयपुर राज0 के खसरा नम्बर 3/2 रकबा 0.4216है0, 130/2 रकबा 0.2220 है0 कुल किता 2 रकबा 0.6436 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
3. **अनिता पुत्री प्रभात हिस्सा 1/2 तेजपाल पुत्र प्रभातराम हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.3614 है0 कुल किता 1 रकबा 0.3614 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**
4. **अनिता पुत्री प्रभात हिस्सा 148/2346 तेजपाल पुत्र प्रभातराम हिस्सा 148/2346, प्रेमदेवी, सेडी पुत्रीयान श्योनाथ हिस्सा 1025/1173 जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.1173 है0 कुल किता 1 रकबा 0.1173 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	